न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 30 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉंगरोल जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री रामस्वरूप
2–श्री रामचरण
पुत्रगण श्री केशरीलाल जाति–बैरवा नि. बमोरीकलां

3–भगवतीबाई
4–गीताबाई
पुत्रियां श्री केशरीलाल जाति–बैरवा नि. बमोरीकलां

5–श्रीमती गुलाबबाई बेवा श्री केशरीलाल जाति–बैरवा नि. बमोरीकलां
तहसील–मॉंगरोल जिला बारां (राज.) (अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री नंदकिशोर गुर्जर, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 31.03.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉंगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 290 रकबा 0.42 है0 किस्म नहरी II वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मॉंगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीधा 9 बिस्वा रहे है, जिसके सम्वत् 2044–63 जमाबन्दी में खातेदार श्री केसरीलाल पुत्र माधो जाति–चमार सा.देह बमोरीकलां तहसील–मॉंगरोल के खाते दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीधा 9 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2014–23 में गै.मु.तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पिता को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 [illegible] प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन/नियमन [illegible] विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च [illegible] डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन को विधि विरूद्व मा[illegible]ए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 16.05.2019 को जवाब अप्रार्थी बन्द किया गया।

3– प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की सुनी गयी।

5– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्राथीगण के पिता/पति श्री केसरीलाल पुत्र माधो जाति–चमार सा.देह बमोरीकलां को ग्राम बमोरीकलां की आराजी साबिक खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से भूमि आवंटित हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 290 रकबा 0.42 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी II दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:50 IST
Reason: SelfAttested

6– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/पति श्री केसरीलाल पुत्र माधो जाति–चमार सा.देह बमोरीकलां भूमिहीन कृषक होने से, उन्हे उक्त आराजी आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन उक्त आराजी काबिल काश्त थी जिस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय मौके पर दखल भी दिया गया था। इसलिये पेरोकार सरकार का यह

कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी गै.मु.तलाई थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि गै.मु.तलाई दर्ज है तो रेकार्ड दुरूस्ती का मामला बनता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण आवंटन पश्चात् से बदस्तूर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर ख0नं0 290 रकबा 0.42 है0 बने है जो वर्तमान में सम्वत् 2069–72 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी मिल चुकी है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा 60 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रक्रिया के तहत आवंटन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीधा 9 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता श्री केसरीलाल पुत्र माधो जाति–चमार सा.देह बमोरीकलां को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर खसरा नम्बर 290 रकबा 0.42 है0 किस्म नहरी II बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

8– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीधा 9 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2014–23 में किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 290 रकबा 0.42 है0 किस्म नहरी II बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के पिता को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने [illegible] प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुये, [illegible] इसलिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:50 IST
Reason: SelfAttested

9– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम बमोरीकलां में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा

0.42 है0 किस्म नहरी ।।, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीधा 9 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10– तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के गैर खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 0.42 है0 किस्म नहरी ।। वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मॉगरोल की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:50 IST
Reason: SelfAttested